तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कोई कानून नहीं है। विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में दानपत्र शुमाईशी होने के कथन को अस्वीकार किया है। साथ में यह भी कथन किया कि जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से दानपत्र को खारिज नहीं कराया जाता तब तक प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं तथा आराजी पर सोयाबीन की फसल होना विपक्षी ने अंकित किया दोनो पक्षों की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत हुए पत्रावली को बहस मे नियत की जाकर हमाय पक्ष की बहस को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रखना निवेदन किया गया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना को खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित रूप से सामने आया कि आराजियात रमजू के खाते दर्ज थी जो जो सलीम, जाकिर विपक्षी एवं बबली, मांगी साबुद्दीन व पीरमोहम्मद को प्राप्त हुई। दौरान बहस प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र मे मौके पर कैसे कब्जा है अंकित नहीं है अर्थात उनकी ओर से किसके द्वारा काश्त की जा रही है अंकित नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र मे मौके पर विपक्षी की ओर काश्त किया जाना तथा मौके पर विपक्षी की फसल खड़ी होना स्पष्ट होता है। दौरान बहस प्रार्थीगण की ओर से कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये विपक्षी की ओर से न्यायिक दृष्टान्त [illegible] किये जिसमें अंकित [illegible] विधि में पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा का प्रावधान नहीं है, साथ ही पिता के जीवनकाल मे पुत्र, पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। मुस्लिम विधि का भी अवलोकन किया जिसमें भी कोई प्रावधान पैतृक सम्पत्ति मे विरासती हक को लेकर अंकित किया हुआ नहीं है। →	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.13 12:56:25 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

आशीष [illegible] जिला-चित्तौड़गढ़ बनाम जाकिर

मुकदमा प्रार्थना पत्र 7 (?) 0[illegible]/2025 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होने से प्रार्थीगण को असुविधा होना, आर्थिक नुकसान होना प्रकट नहीं होता है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	